ऐसे पाप से भी बचना चाहिये

मुहम्मद अज़हर मदनी

अबू हुरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमाम उम्मत को मआफ कर दिया जायेगा लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को मआफ नहीं किया जायेगा और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में यह भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई (गुनाह) का काम करे जबकि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया है मगर सुबह होने पर वह कहने लगे कि ऐ फुलां मैंने कल रात फुलां फुलां काम किया था, रात गुज़र गयी थी, उसके रब ने उसके गुनाह को छुपाये रखा और जब सुबह हुयी तो उसने खुद ही बता दिया। (बुखारी ६०६६, मुस्लिम २६६)

एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई के ऐब को छुपाये गा अल्लाह तआला क्यामत के दिन उसके ऐब को छुपायेगा।

सबसे पहली हदीस में यह शिक्षा दी गई है कि अगर किसी इन्सान से कोई पाप हो जाये तो वह इधर उध ार जा कर बताता न फिरे, क्योंकि इससे वह दूसरों की नज़रों में गिर जायेगा और कुछ लोगों के भी इस पाप में लिप्त हो जाने की आशंका है जो पाप पर पाप का सबब बन जायेगा।

कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इन्सान से एकान्त में होते हैं जिसको केवल अल्लाह जानता है और इस पाप को करने वाला जानता है। पाप हर हाल में पाप ही है लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिन के समाज में बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं इसी लिये इस हदीस में यह चेतावनी दी गई है कि उम्मत के तमाम लोगों को मआफ कर दिया जायेगा लेकिन खुल्लम खुल्ला पाप करने वालों को अल्लाह मआफ नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर किसी को गाली देना पाप है, अगर एकान्त में किसी को गाली देकर कोई शख्स दूसरों को बताता फिरे कि मैंने अमुक शख्स को गाली दी तो यह खुल्लम खुल्ला पाप के समान हो गया। इस व्यक्ति ने तन्हाई में गाली देकर पाप तो किया ही था, दूसरों से इसका वर्णन करके पाप पर पाप करने का कारण बन गया अर्थात डबल पाप कर बैठा।

इस तरह का उल्लेख करके उसने अपने आप को अपमानित तो किया ही दूसरों को भी पाप की तरफ ले जाने का कारण बन गया, इसलिये पाप को बयान करने के बजाये अल्लाह से तौबा करनी चाहिये, अल्लाह दयालू कृपालू है वह सच्ची तौबा के बाद गुनाह को मआफ फरमा देता है शर्त यह है कि वह दोबारा ऐसा पाप न करे। अल्लाह तआला हम सभी को ऐसे पाप से बचने की क्षमता दे। आमीन

मासिक
इसलाहे समाज
अक्टूबर 2024 वर्ष 35 अंक 10
रबीउल आख़िर 1446

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. ऐसे पाप से भी बचना चाहिए 02
2. अपनी असफलता की वजह हम स्वयं हैं 04
3. प्रेस रिलीज़ 05
4. कुरआन के अल्लाह की ग्रन्थ होने की.. 06
5. मानव अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं .. 09
6. इस्लाम में समता और आज़ादी के सिद्धांत 11
7. इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत 14
8. महिलाओं का स्थान 17
9. खाने से संबन्धित महत्वपूर्ण अहकाम 20
10. इस्लाम में अनाथों के अधिकार 25
11. अहले हदीस कांफ्रेन्स (विज्ञापन) 28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

अपनी असफलता की वजह हम स्वयं हैं

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किये थे कुछ आदमी और कुछ जिन्नात, जिन में से बाज बाजों को चिकनी चपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोके में डाल दें।'' (सूरे अंआमः११२)

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फरमायाः

''शैतान तुम्हें फक़ीरी से धमकाता है और अश्लीलता का आदेश देता है और अल्लाह तआला तुम से अपनी क्षमायाचना और कृपा का वादा करता है अल्लाह तआला उस्अत वाला और इल्म वाला है'' (सूरे बक़राः २८६)

यहां दो बातें कई पहलुओं से जानना ज़रूरी है एक तो यह कि जब दुनिया जुल्म से भर जाती है तो अल्लाह तआला इस जुल्म के अंत के लिये अपने पैगम्बरों को भेजता है जैसा कि कहा जाता है कि हर फिरऔन के लिये मूसा पैदा होता है और अल्लाह तआला का फरमान हैः

''और इसी तरह हम ने हर नबी के दुश्मन बाज गुनेहगारों को बना दिया है और तेरा रब ही हिदायत करने वाला मदद करने वाला काफी है'' (सूरे फुरक़ान ३१)

दूसरी बात यह है कि जब भी इन्सान किसी अच्छे काम की पलानिंग करके मैदान में उतरता है खास तौर से वह काम जो पैगम्बरों और अल्लाह वालों का है तो इस में उसे शुरू ही से आज़माइशों से दोचार होना पड़ता है अर्थात वहां फिरऔन के लिये मूसा पैदा होते हैं और यहां पर वली और पैगम्बर के साथ अपराधी शैतान लगा रहता है। उपर्युक्त आयतों में अल्लाह तआला ने इसी बात को स्पष्ट करके समझाया है। वास्तव में दुनिया में जितने अच्छे काम करने वाले हों और जो जितना पैगम्बरों के मिशन से करीब होगा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में या आम मानवता के काम आने में उतना ही उसकी राह में रूकावट डालने वाले भी मिलेंगे। इन्सान और जिन्नात दोनों में से या किसी एक में से, खन्नास का वस्वसा इस में और ज़्यादा रूकावट डालता है जिस की खून की रगों से लेकर दिलों तक पहुंच है मगर अल्लाह जिस की हिफाज़त फरमाये। खास तौर से इन्सान हर अच्छे काम मिसाल के तौर पर दावत व तबलीग, जमाअती व्यवस्था, जमाअती और मदारिस व मसाजिद के कार्य वगैरह को शुरू करने के लिये शैतान और अपराधियों की तरफ से बेपरवाह होकर मैदान में उतर जाता है इस ख्याल से कि यह तो नेक काम है, नेक लोगों का समारोह है, नेक लोगों की सभा है, नेक लोगों का संगठन है और अल्लाह व रसूल की बात करने का स्थान है, यहां शैतान और शातिर अपराधियों का गुज़र कैसे हो सकता है? हालांकि शहर व मुल्क के सभी शैतान अपने वस्वसे, उपाय,

कारिन्दों और लावलश्कर के साथ इसी नेक और पवित्र जगह पर हमलावर होते हैं और यही वह जगह है जहां इन्सान को शैतान के वस्वसों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और सबसे ज्यादा होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः कुरआन पढ़ते वक़्त रांदे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। (सूरे नह्ल ६८) कुरआन की यह आयत अन्य लाभ के अलावा हर तरह शैतानों और हासिदों से बचने का माध्यम है।

यहां अपराधियों की बात है कि हर नबी, हर नेक इन्सान, हर प्रचारक और सुधारक के ख़िलाफ कोई न कोई अपराधी खड़ा हो जाता है मगर यह बात दृष्टिगत रहे कि अपराधियों की इस सूचि में सबसे पहले नम्बर पर इन्सान का अपना नफ्स है बल्कि सभी अपराधियों में यह सबसे खतरनाक है। मुकाबला की ताक़त भी उस वक़्त खतम हो जाती है जब इन्सान का अपना नफ्स स्वयं अपराधी बन जाये। अपराध ा अगर इन्सान का स्वयं अपना नफ्स करने लगे तो सारे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ जाती है, उनके दांव कारगर होने लगते हैं उनके वार गहरे होने लगते हैं।

आज हम को अपनी निजी ज़िन्दगी में समुदायिक ज़िन्दगी व मामलात व हालात में अर्थात हर जगह विभिन्न प्रकार के अपराधियों का सामना है और हमारा हाल यह है कि हम दूसरों को अपराधी ठेहरा कर, दूसरों को आरोपी ठेहरा कर, सारे आरोप दूसरों के सर मढ़ कर और अपनी सभी कोताहियों, कमजोरियों, अपराध का जान बूझ कर या अनजाने तौर पर नादान की तरह दूसरों को जिम्मेदार ठेहराते हैं और यह हमारी तमाम नाकामियों का आधार है। हम निजी तौर पर कितनी ही कोताहियों, हसद कीना, चारित्रिक ईमानी और समाजी बुराइयों और अपराध में लिप्त हैं इनका कण भर ख्याल नहीं, हमारी सुस्ती और कोताही से पूरे देश व समुदाय को कितना नुक्सान पहुंच रहा है इसका अनुमान नहीं, इस पर ईमानदारी और होशियारी से गौर करें तो पता चलेगा बल्कि यक़ीन होगा कि हमारी नाकामी और मजलूमियत की वजह हम खुद हैं।

(प्रेस रिलीज़)

रबीउल आख़िर १४४६ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, ३ अक्टूबर २०२४

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २६ रबीउल अव्वल १४४६ हिजरी अर्थात ३ अक्टूबर २०२४ को ग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि जुमा के दिन रबीउल आख़िर की ३०वीं तारीख होगी।

कुरआन के अल्लाह की ग्रन्थ होने की दलील

डा० बाबुल आलम

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

१. "हमने जो कुछ अपने बन्दे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरे तो बना लाओ, तुम्हें अधिकार है कि अल्लाह के सिवा और अपने सहायकों (मददगारों) को बुला लो"। (सूरे बकरा-२३)

कुरआन की इस आयत में अल्लाह ने कहा कि हमने अपने बन्दे पर जो किताब अवतरित (उतारी) है उसके अगर अल्लाह के ग्रन्थ होने पर तुम्हें शक (सन्देह) है तो अपने तमाम समर्थकों को साथ मिला कर इस जैसी एक ही सूरत बना कर दिखा दो और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो समझ लेना चाहिये कि वास्तव में यह किसी इन्सान की मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि अल्लाह की वाणी (कलाम) है और अल्लाह पर और उसके सन्देष्टा मुहम्मद स० पर ईमान लाकर जहन्नम की आग से बचने का प्रयास करना चाहिये जो कि कुकर्मियों के लिये तैयार की गयी है।

कुरआन की सच्चाई की एक स्पष्ट दलील है कि अरब और गैर अरब के तमाम लोगों को चुनौती दी गयी लेकिन आज तक वह इसका जवाब देने में असमर्थ हैं और निश्चय ही क्यामत तक इसमें असमर्थ रहेंगे।

कुरआन में अल्लाह तआला कहता है

२. यह परोक्ष (गैब) की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वह्य पैगम्बर के लिये ईश्वरीय सन्देश) से पहुँचाते हैं तू उनके पास नहीं था जबकि वह अपने कलम डाल रहे थे कि मरयम को उनमें से कौन पालेगा और न तू उनके झगड़ने के वक़्त उनके पास था" (सूरे आल इमरान-४४)

आज कल कुछ लोगों ने हज़रत मुहम्मद स०अ०व० को अल्लाह की तरह परोक्ष का ज्ञान रखने और हर जगह हाजिर नाजिर (मौजूद रहने और हर चीज़ देखने) का अकीदा गढ़ रखा है कुरआन की इस आयत से दोनों अकीदों का स्पष्ट खण्डन होता है अगर आप परोक्ष का ज्ञान रखने वाले होते तो अल्लाह तआला यह नहीं फरमाता कि हम परोक्ष की खबरें आप को बता रहे हैं क्योंकि जिसको पहले ही से ज्ञान हो उसको इस प्रकार संबोधित नहीं किया जाता और इसी प्रकार हाज़िर व नाज़िर को यह नहीं कहा जाता कि आप उस वक़्त वहां मौजूद नहीं थे जब लोग कुरआ अन्दाज़ी के लिये कलम डाल रहे थे। कुरआ अन्दाज़ी की ज़रूरत इस लिये पेश आयी कि हज़तर मरयम की किफालत के और भी कई लोग इच्छुक थे इस आयत "यह गैब (परोक्ष) की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वह्य से पहुंचाते हैं" से हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की पैगम्बरी और आप की सच्चाई का सुबूत है जिस में यहूदी और ईसाई शक करते हैं क्योंकि वह्य पैगम्बर पर ही आती है गैर पैगम्बर पर नहीं।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है

३. "क्या लोग कुरआन में

गौर नहीं करते कि यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन (निश्चित रूप) से इसमें बहुत कुछ इखतेलाफ पाते"। (सूरे निसा-८२)

कुरआन से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये उसमें चिन्तन करने पर बल दिया जा रहा है और इसकी हकीकत जानने के लिये एक कसौटी बताया गया है कि अगर यह किसी इन्सान की बनायी हुयी वाणी होती जैसे कि कुफ्फार का ख्याल है तो इसके लेख और इसमें बयान किये गये वाक्यात में विरोधाभास होता क्योंकि यह कोई छोटी सी किताब नहीं एक विस्तृत किताब है जिसका हर भाग चमत्कार और वाग्मिकता में प्रमुख है जबकि इन्सान की लिखी हुयी किताब में भाषा का स्तर और उसकी वाग्मिता और फसाहत (भाषा की सरलता) बाकी नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि इसमें पिछली कौमों के वाक्याअत बयान किये गये हैं जिन्हें परोक्ष का ज्ञान रखने वाला अल्लाह के सिवा कोई और बयान नहीं कर सकता। इन वाक्यआत और घटनाओं में किसी प्रकार का मतभेद और विरोधाभास नहीं है और न कोई छोटे से छोटा भाग कुरआन की किसी असल से टकराता है जबकि एक इन्सान पिछले वाक्यआत बयान करे तो श्रंखलबद्धता निरन्तरता अर्थात तसलसुल की कड़ियां टूट जाती हैं और उनके विवरण में विरोध भास हो जाता है कुरआन के इन तमाम इन्सानी कोताहियों से पवित्र होने का स्पष्ट अर्थ यह है कि कुरआन निश्चिय तौर पर अल्लाह का कलाम (वाणी) है जिसको अल्लाह ने फरिश्ते के द्वारा अपने अन्तिम सन्देष्टा पैगम्बर हज़रत मुहम्मद पर अवतरित किया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है

४. "और यह कुरआन इफ्तेरा (घढ़ा हुआ) नहीं है कि गैर अल्लाह से आया हुआ हो बल्कि यह कुरआन उन किताबों की पुष्टि करने वाला है जो इससे पहले अवतरित हो चुकी हैं और ज़रूरी अहकाम (आवश्यक आदेश) का विवरण बयान करने वाला है इसमें कोई शक की बात नहीं है, रब्बुल आलमीन (सम्स्त संसार के पालनहार) की तरफ से है क्या यह लोग यूं कहते हैं कि आप (मुहम्मद) ने इसको इफ्तेरा (गढ़) लिया है, आप कह दीजिए तो फिर तुम इसके समान एक ही सूरत लाओ और जिन गैर अल्लाह को बुला सको सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो"। (सूरे युनुस ३७-३८)

इन तमाम यथार्थ और तर्क के बाद भी अगर तुम्हारा दावा यही है कि यह कुरआन मुहम्मद स०अ०व० का गढ़ा हुआ है तो वह भी तुम्हारी ही तरह एक इन्सान हैं तुम्हारी भाषा भी उन ही की तरह अरबी है वह तो अकेले हैं तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो तुम दुनिया भर के साहित्यकारों भाषाविदों, ज्ञानियों और लेखकों को जमा कर लो और इस कुरआन की एक छोटी सी छोटी सूरत के समान बना कर पेश करो। कुरआन का यह चैलेंज आज तक कोई पूरे नहीं कर सका जिस का स्पष्ट अर्थ यह है कि यह कुरआन किसी इन्सान की मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि वास्तव में यह अल्लाह की वाणी है जो अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स० पर अवतरित हुआ।

कुरआन कहता हैः ५. "क्या यह कहते हैं कि इस कुरआन को इसी ने गढ़ लिया है जवाब दीजिये कि फिर तुम भी इसी के समान दस सूरतें गढ़ी हुयी ले आओ और अलाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला

भी लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम्हारी इस बात को कुबूल कर लें तो यकीन से जान लो कि यह कुरआन अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है और यह कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य (माअबूद) नहीं है पस क्या तुम ईमान लाते हो'' (सूरे हूद १३-१४)

पहली आयत में अल्लाह ने चैलेंज दिया है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद स०अव० का बनाया हुआ कुरआन है तो इसके जैसा बना कर दिखला दो और तुम जिसकी चाहो मदद हासिल कर लो लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं कर सकोगे। इसके बाद अल्लाह ने यह चैलेंज दिया कि पूरा कुरआन बना कर पेश नहीं कर सकते तो दस सूरतें ही बना कर पेश कर दो। फिर तीसरे नंबर पर चैलेंज दिया कि चलो एक ही सूरत बनाकर पेश करो जैसा कि सूरे यूनुस की आयत नंबर १३८ और सूरे बकरा के शुरू में फरमाया दूसरी आयत में अल्लाह तआला फरमाता है कि इसके बाद भी तुम इस चैलेंज का जवाब देने से असमर्थ हो, यह मानने के लिये कि यह कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, तैयार नहीं हो और न ईमान लाने के लिये तैयार हो

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है

६. ''यह गैब (परोक्ष) की खबरों में से है जिसकी हम आप की तरफ वह्य कर रहे हैं तो आप उनके पास नहीं थे जब उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वह फरेब करने लगे थे''। (सूरे यूसुफ-१०२)

कहने का मतलब यह है कि युसुफ के साथ जब उन्हें कुवें में फैंक आये या यहां हज़रत याकूब मुराद (अभिप्राय) हैं अर्थात उनको यह कह कर कि युसुफ को भेड़िया खा गया है और यह उसकी कमीस है जो खून में लतपत है उनके साथ फरेब (ध ोिका) किया गया अल्लाह ने इस स्थान पर भी इस बात का रदद किया है कि आप को परोक्ष का ज्ञान था लेकिन यह रदद केवल ज्ञान की नहीं है क्योंकि अल्लाह ने वह्य के द्वारा आप को बताया था यह रदद पर्यवेक्षण (मुशाहेदा) की है कि उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थे, इसी तरह ऐसे लोगों से भी आप का संपर्क नहीं रहा जिनसे आप (मुहम्मद) ने सुना हो यह केवल अल्लाह ही है जिसने आप को इस परोक्ष घटना की खबर दी है जो इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी (मैसेन्जर) हैं और अल्लाह तआला की तरफ से आप पर वह्य नाज़िल होती है। अल्लाह तआला ने और भी कई स्थानों पर इसी प्रकार परोक्ष-ज्ञान और पर्थवेक्षण (मुशाहेदा) का रदद किया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

७. ''ऐलान कर दीजिए कि अगर तमाम इन्सान और सब जिन्नात मिल कर इस कुरआन के समान लाना चाहें तो इन सबसे इसके समान लाना असंभव है कि वह आपस में एक दूसरे के सहायक भी बन जायें''। (सूरे इस्राईल-८८)

कुरआन में यह चैलेंज बार बार दिया गया है इस चैलेंज का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका इस कुरआन की यह महिमा है कि तमाम सृष्टि इसके मुकाबले से असमर्थ है किसी के बस में इस जैसी वाणी (कलाम) नहीं है जिस प्रकार अल्लाह अद्वितीय और अनुपम है इसी प्रकार उसकी वाणी भी।

❑❑❑

मानव अधिकार इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में

डा० मुहम्मद तैयब शम्स

इस्लाम में पड़ोसी के अधि ाकार का भी बहुत ख्याल रखा गया है कि पड़ोसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे। अगर पड़ोसी गरीब और परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिये और उससे अच्छी तरह से पेश आना चाहिये छोटे मोटे सामान देने से इन्कार नहीं करना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठेहराओ और मां बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों से और यतीमों और मुहताजों और नजदीकी पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और हम मज्लिस और राह के मुसाफिर से और उनसे जिनके तुम मालिक हो चुके हो (गुलाम, कनीज़) उनसे भलाई किया करो, बेशक अल्लाह उस शख्स को पसन्द नहीं करता जो तकब्बुर (घमण्ड) करने वाला फख्र करने वाला हो''। (सूरे निसा-३६)

हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है वह अपने पड़ोसी को दुख न पहुंचाये जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास रखता है उसे चाहिये कि वह मेहमानों की इज्ज़त करे और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यकीन रखता है उसे चाहिये कि वह भलाई की बात करे वर्ना खामूश रहे। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में अनाथों के अधि ाकार का भी बेहद ख्याल रखा गया है, यतीमों (अनाथों) की देख भाल उनकी सुरक्षा भलाई का काम है, यतीमों से हमेशा प्यार व मुहब्बत से पेश आना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला ने यतीमों के अधि ाकार के सिलसिले में जिम्मेदार रहने का उपदेश दिया है और अपने माल से कुछ हिस्सा देने का हुक्म दिया है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आज़माते रहो फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फुजूल खर्चियों में तबाह न करो''। (सूरे निसा-६)

सहल बिन सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आपने अपनी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली के दर्मियान कुशादगी की। (सहीह बुखारी)

इस्लाम से पहले अरब वासी नरीना औलाद से अत्यंत प्रेम और प्यार करते थे और लड़कियों को जीवित दफन कर दिया करते थे इस्लाम धर्म ने इन जाहिलाना रस्म व रिवाज का खात्मा किया बल्कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी पालन

पोषण करने, शिक्षा देने और उनकी शादी कराने का हुक्म दिया और उनके अधिकार भी बताये। कुरआन में औलाद के अधिकार को इस प्रकार बयान किया गया है।

''माएं अपनी औलादों को दो साल कामिल दूध पिलायें जिसका इरादा दूध पिलाने की मुददत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके जिम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक़े दस्तूर के हो। हर शख्स को उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताक़त हो मां को इसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई जरर न पहुंचाया जाये। वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है फिर अगर दोनों मां बाप अपनी रिजामन्दी और आपसी मश्वरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वह वह उनके हवाले कर दो। अल्लाह से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तआला आमाल की देख भाल कर रहे हैं। (सूरे २३३)

हज़रत अबू मसऊद बदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जब आदमी अपने परिवार पर सवाब की नियत से खर्च करता है तो वह उसके लिये सदका (नेकी) शुमार होता है''। (बुखारी मुस्लिम)

इस्लाम में हर मजदूर और मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत का उचित अधिकार प्राप्त है लेकिन साथ में यह भी ताकीद की गयी है वह ईमानदारी से काम करे, काम से जी न चुराये चोरी न करे, मालिक के माल को बर्बाद होने से बचाये इनके साथ साथ मालिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी मजदूर से उसकी पगार के मुताबिक ही काम ले और मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे अर्थात पगार देने में जल्दी करे वादे के अनुसार उसकी मजदूरी में कमी न करे। कुरआन में अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह न्याय और भलाई का हुक्म देता है (सूरे नह्ल-६)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मजदूर को मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। (इब्ने माजा)

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.......................

पिता का नाम...............

स्थान.......................

पोस्ट आफिस...............

वाया.......................

तहसील.....................

जिला.......................

पिन कोड..................

राज्य का नाम.............

मोबाइन नम्बर.............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

इस्लाम में समता और आज़ादी के सिद्धांत

मुक़तदा हसन अज़हरी

आज़ादी के अधिकार को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है।

राजनीतिक आज़ादीः ओलमा ने इस अधिकार के निम्न दो लक्षण बताये हैं प्रथम यह कि हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े तमाम प्रशासनिक पदों की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो द्वितीय यह है कि हर इंसान को आम मामलों के बारे में अपनी राय को रखने (अभिव्यक्त) का अधिकार हो अर्थात वह बता सके कि इस राय के अनुसार मामले की रफतार सही है या गलत।

इस्लाम ने इन पदों को समाज की सेवा का माध्यम करार दिया है इसलिये इस उम्मत के सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पदध ाारियों के रवैये पर नज़र रखें और देखें कि वह किस हद तक समाज की सेवा कर रहे हैं।

इस्लाम में हुकूमत के मुखिया से लेकर नीचे तक के तमाम पदों पर क्षमता एवं योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति होगी और उनकी आर्थिक भरण पोषण (किफालत) बैतुल माल से की जायेगी। जब तक आदमी अपना फर्ज भली भांति निभाता रहेगा उसे उसके पद पर बाक़ी रखा जायेगा वर्ना पदमुक्त कर दिया जाये गा।

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स० के इन्तेकाल के बाद हज़रत अबू बक्र रजिअल्लाहो अन्हो को आप का पहला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया और हज़रत अबू बक्र ने बहुत कम मुददत में यह साबित कर दिया कि अबू बक्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो से ज़्यादा इस पद का पात्र कोई दूसरा नहीं था।

हज़रत अबू बक्र ने अपनी वफ़ात (इन्तेकाल) से पहले लोगों के मश्वरे से हज़रत उमर रजि० को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बाज लोगों ने वफात से पहले अबू बक्र से कहा कि आप ने उमर रजि० जैसे सख्त इन्सान को खलीफ़ा नियुक्त कर दिया है अल्लाह तआला को क्या जवाब देंगे? हज़रत अबू बक्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कहा कि अल्लाह के सामने जवाबदेही से मुझे न डराओ मैंने कोई ज़ुल्म नहीं किया है। अल्लाह तआला से मैं कहूंगा कि उम्मत के बेहतरीन शख्स को मैंने खलीफ़ा बनाया है हज़रत उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो के खिलाफत के काल पर नज़र डालने से साबित होता है कि यह चुनाव अथा-समय था।

हज़रत उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो लोगों ने कहा किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिये उन्होंने जवाब दिया कि मौत और जिन्दगी की दोनों हालतों में तुम्हारे मामलात की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहिये। मुगीरा बिन शोअबा ने उमर रजिअल्लाहो अन्हो के लड़के अब्दुल्लाह को खलीफ़ा बनाने का मश्वरा दिया। हज़रत उमर रजिअल्लाहो ने बड़ी बुद्धिमत्ता से

कहा कि उम्मत के मामलात की जिममेदारी ऐसी प्रिय चीज़ नहीं है कि अपने घर वालों में से किसी को इसके लिये नामित कर दूं, अगर इसमें कोई भलाई हो गी तो मुझे मिलेगी और अगर बुराई हो गी तो एक ही शख्स (उमर) का मुहासबा काफी है। फिर छः लोगों को निर्वाचित करके फरमाया कि इनमें से किसी को खलीफ़ा बना दिया जाये मश्वरा के लिये सातवाँ नाम अपने लड़के अब्दुल्लाह का नाम बताया लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि उनको खलीफ़ा नहीं बनाया जा सकता।

हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो पर जब कातिलाना हमला हुआ तो लोगों ने उनसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया लेकिन आप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस बारे में मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं दे सकता तुम खुद अपने मामले को अच्छी तरह समझते हो।

सहाबा में यह निर्वाचित लोग थे उनकी योग्यता और कमाल पर सबका इत्तेफाक था लेकिन इन हज़रात ने खिलाफ़त पद के सिलसिले में पूरी जिम्मेदारी का सुबूत दिया और अपने अमल से साबित कर दिया कि इस प्रकार के महान मामलात को हल करते हुये यह ज़रूरी है कि इन्सान अल्लाह के सामने जवाबदेही का ख्याल रखे और कोई ऐसा इकदाम न करे जिस से उम्मत को नुकसान पहुंचे। (मुस्तदरक हाकिम १०४/४, तबरानी ११४!११)

ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने एक हदीस में फरमाया कि अगर किसी शख्स ने ऐसे शख्स को किसी जमाअत का जिम्मेदार बनाया जिससे बेहतर दूसरा शख्स मौजूद है तो वह अल्लाह रसूल और मुसलमानों का खाइन है।

एक दूसरी हदीस में है कि जिसे मुसलमानों की जिम्मेदारी मिली और उसने पात्र के बिना केवल अपनी पसन्द की बिना पर कोई नियुक्ति कर दी उस पर अल्लाह की लानत, उसकी कोई इबादत कुबूल नहीं होगी और वह जहन्नम में जायेगा।

एक शख्स ने ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० से सवाल किया कि क्यामत कब आयेगी? आपने फरमाया कि जब मामलात अक्षम लोगों के हवाले किये जाने लगें तो क्यामत का इन्तेज़ार करो।

पदों की जिम्मेदारी

हुकूमत और सत्ता की जिम्मेदारी अत्यंत महान है और इस्लाम ने सहीह तौर पर उसको निभाने पर सख्त जोर दिया है लेकिन शासकों और पदधारियों में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस जिम्मेदारी की महानता से गाफिल हैं और गलत तौर पर सत्ता इस्तेमाल करते हैं पदों के बटवारे में न्याय नहीं करते रिश्तेदारों और समर्थकों को पदों से नवाज़ते हैं और दूसरों को वंचित रखते हैं नतीजा यह होता है कि इन्साफ़ नहीं मिलता और अत्याचार को फरोग होता है। इस्लाम के आदर्श शासकों ने सत्ता के इस्तेमाल में हमेशा एहतियात से काम लिया और अधीन अफसरों के रवैये पर नजर रखी इस्लामी इतिहास में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं।

हज़रत उमर को एक बार शिकायत मिली कि उनके एक गोवर्नर ने ज़मीन के मामले में ज्यादती की है हज़रत उमर रअिल्लाहो अन्हो ने तुरन्त गोवर्नर को लिखा कि नालिश

(दावा) करने वाले के साथ इन्साफ करो वर्ना मेरे पास आ जाओ। यह पत्र मिलते ही गोवर्नर ने जमीन उसके मालिक को लौटा दी।

हज़रत उमर ने अपने एक गोवर्नर को निर्देश दिया कि प्रजा के लिये अपना दर्वाज़ा खुला रखो उनके मामलात का फैसला स्वयं करो तुम उन्हीं में से एक शख्स हो लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा बोझ दूसरों से भारी बनाया है।

इसी प्रकार अपने एक गोवर्नर अबू मूसा अश्अरी को लिखा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों का खाना, पहनावा, और सवारी आदि आम प्रजा जैसा नहीं है तुम्हें उस जानवर की तरह नहीं होना चाहिये जो हरे भरे वादी से गुज़रा तो इतना खा लिया कि इसी से उसकी मौत हो गयी, याद रखो कि हर जिम्मेदार को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है अगर जिम्मेदार सीधा नहीं रहे गा तो उसकी प्रजा भी सीधी नहीं होगी सबसे बद्तर (निकृष्टतम) इन्सान वह है जिसकी प्रजा दुख में हो।

हज़रत उमर ने अपने मिस्र के गोवर्नर अम्र बिन आस रजिअल्लाहो अन्हो को लिखा कि मुझे मालूम हुआ है तुम सभा में टेक लगा कर बैठते हो अब बैठो तो दूसरे लोगों की तरह बैठो।

हज़रत उमर रजिअल्लाहो अन्हो राष्ट्रीय संपदा के बारे में अत्यन्त मुहताज (सावधान) थे, ज़रूरत से ज्यादा वज़ीफ़ा (निवृत्ति वेतन) नहीं लेते थे और अपने अफसरों को भी बराबर इसकी ताकीद करते थे कि उम्मत के माल के सिलसिले में सावधानी से काम लें और अपने पद एवं स्थान के सहारे दौलत जमा करने के चक्कर में न फसें उनका कोई कार्यकर्ता अगर वैधरूप से दौलत जमा कर लेता तो उसे उसके पद पर बाकी रखते थे क्योंकि वह जानत थे कि दौलत जमा करने की मानसिकता का अंजाम अच्छा नहीं है।

इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० का स्थान दुनिया भर के तमाम इन्सानों से श्रेष्ठ है उम्मत के तमाम मामलों में आप अल्लाह की वह्य एवं रहनुमाई (प्रकाशना, निर्देश) के अनुसार काम करते थे और इसमें आप से कोई गलती नहीं होती थी फिर भी उम्मत के मामलात में आप सहाबा से मश्वरा करते थे और मतभेद की सूरत में बहुसंख्यक की राय के अनुसार अमल करते थे इसकी बहुत सी प्रसिद्ध मिसालें मौजूद हैं।

इस्लाम में सियासी आजादी का मतलब यह नहीं कि हुकूमत का प्रमुख और अफसरान को मनमानी करने की छूट है बल्कि उम्मत के समस बूझ रखने वाले लोगों को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसका मक़सद सुधार होना चाहिये। दुश्मन के जजबात की तसकीन और जाती दुश्मनी की बिना पर जो आलोचना होगी उसका प्रोत्साहन नहीं किया जायेगा और कोई शासक अल्लाह रसूल और मुसमलानों की खियानत करेगा तो उसको पद से हटाना जरूरी है लेकिन इसका फैसला किसी एक व्यक्ति की राय से नहीं होगा और न ऐसे किसी अमल की बुनियाद पर जिसका स्पष्टीकरण संभव हो।

(जरीदा तर्जुमान १६-३१ जुलाई २०१७)

❑❑❑

इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब मुर्ग की बांग (आवाज़) सुनो तो अल्लाह से उसके फज़्ल का सवाल करो क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो क्योंकि उसने शैतान को देखा है। (बुखारी ३३०३, मुस्लिम २७२६)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मेरे खलील सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझे हर महीने की तीन तारीखों में रोज़ा रखने की वसिय्यत की थी, और चाश्त की दो रकअत पढ़ने की वसिय्यत की थी और सोने से पहले वित्र पढ़ लेने की भी वसिय्यत की थी। (बुखारी, १६८१ मुस्लिम ७२१)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल किस तरह के सदके में ज़्यादा सवाब है? आपने फरमायाः जिसे तुम सेहत के साथ बुख्ल के बावजूद करो तुम्हें एक तरफ फकीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना और उस सदक खैरात में ढील नहीं होनी चाहिये कि जब जान हलक तक आ जाये तो उस वक़्त तू कहने लगे कि फुलां के लिये इतना और फुलां के लिए इतना हालांकि अब तो वह फुलां का हो चुका है। (बुखारी १४१६, मुस्लिम १०३२)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम जनाज़ा को तेज़ी से लेकर चलो क्योंकि अगर वह नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ नजदीक कर रहे हो और अगर इसके सिवा है तो एक बुराई है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार रहे हो। (बुखारी १३१५, मुस्लिम ६४४)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला का हर मुसलमान पर हक़ है कि हर सात दिन में एक दिन नहाये, उस दिन अपने सर को और जिस्म को गुस्ल दे। (बुखारी ८९७ मुस्लिम ८४६)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कसम खाने से सामान बिक जाती है लेकिन कसम बरकत को मिटा देती है। (बुखारी २०८७, मुस्लिम १६०६)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमाम उम्मत को मआफ कर दिया जायेगा लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों को मआफ नहीं किया जायेगा और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने में यह भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई (गुनाह) का काम करे और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा

लिया है मगर सुबह होने पर वह कहने लगे कि ऐ फुलां मैंने कल रात फुलां फुलां काम किया था, रात गुज़र गयी थी, उसके रब ने उसके गुनाह को छुपाये रखा और जब सुबह हुयी तो उसने खुद ही बता दिया। (बुखारी ६०६९, मुस्लिम २९९)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः चार चीजों की बुनियाद पर औरत से शादी की जाती है उसके माल की वजह से उसके हसब नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से और तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो, नहीं तो तुम्हारे हाथों में मिटटी लगेगी। (बुखारी ५०९० मुस्लिम १४६६)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच की जमीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ के ऊपर होगा। (बुखारी ११९६, मुस्लिम १३९१)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सवार पैदल चलने वाले से सलाम करेगा, पैदल चलने वाला बैठने वाले से और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों से सलाम करेंगे। (बुखारी २१६० मुस्लिम ६२३२)

और बुखारी में ''छोटा बड़े पर'' का शब्द भी है। (बुखारी ६२३१)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमायाः जो दया नहीं करता है उस पर दया नहीं की जाती है। (बुखारी ५९९७ मुस्लिम २३१८)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कोई आदमी चलते चलते राह में कांटे की कोई टेहनी पाकर उसको हटा देता है तो इस पर अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी मग्फिरत कर देता है। (बुखारी ६५४ मुस्लिम १६१४)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बन्दे की दुआ कुबूल होती है जब तक कि वह जल्दी न करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कुबूल नहीं हुयी। (बुखारी ६३४, मुस्लिम २७३५)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत उस वक्त आयेगी जब एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र से गुजरे गा तो वह कहेगा ऐ काश मैं उसकी जगह होता। (बुखारीः ७११५ मुस्लिम १५७)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कोई इस तरह दुआ न करे कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मेरी मगफिरत फरमा दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर दया कर अगर तू चाहे तो मुझे रोज़ी दे बल्कि मजबूत इरादे से माँगनी चाहिये क्योंकि अल्लाह जो चाहता है करता है कोई उस पर जबरदस्ती करने वाला नहीं (बुखारी ७४७७ मुस्लिम २६७९)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

ने फरमायाः तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे अगर वह नेक है तो संभव है कि और ज्यादा नेकी करे। (बुखारी ७२३५ मुस्लिम २६८२)

और बुखारी में यह शब्द हैं "और अगर बुरा है तो शायद अपनी बुराईयों से तौबा कर ले"।

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या साथी यरहमोकल्लाह कहे जब उसका साथी यरहमोकल्लाह कह दे तो छींकने वाला इसके जवाब में यहदीकुमुल्लाह व युस्लेह बालकुम कहे। (बुखारी ६२२४ मुस्लिम २६६२)

अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः निकट ही ऐसे फितने पैदा होंगे जिनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से उनकी तरफ झांक कर भी देखेगा तो वह उनको भी समेट लेंगे। उस वक्त जिस किसी को कोई पनाह मिल जाये या बचाव की जगह मिल जाये तो वह उसमें पनाह ले ले। (बुखारी ७०८१ मुस्लिम २८८६)

❑❑❑

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

महिलाओं का स्थान

डा० मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सालेह अस-सुहैम

इस्लाम में महिला एक उच्च स्थान पर पहुंच गई, जहां तक वह किसी समय में नहीं पहुंची थी और न ही वह बाद में आने वाले किसी समय में उस स्थान को पा सकती है। क्योंकि इस्लाम ने मनुष्य को जो सम्मान दिया है उस में पुरूष व महिला दोनों बराबरी के साथ शामिल हैं। वे इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम (आदेशों) के सामने बराबर हैं। जिस तरह कि वे आखिरत के घर में उसके सवाब (पुण्य) व बदले के सामने एक समान और बराबर होंगे। अल्लाह तआला ने फरमायाः

''वास्तव में हमने बनी आदम (मनुष्य) को सम्मानित किया है''। (सूरे इसरा-७७)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''पुरूषों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माता-पिता और रिश्तेदार छोड़ जायें और महिलाओं के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माता-पिता और रिश्तेदार छोड़ जायें''। (सूरतुन निसा-७)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और उन (महिलाओं) के लिए भी उसी प्रकार (अधिकार) है, जैसे कि उनके ऊपर है, भलाई के साथ''। (सूरतुल बकरा-२२८)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के दोस्त हैं।'' (सूरतुत्तौब-७१)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम मात्र उसी की इबादत करना, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जायें तो उनसे उफ (अरे) तक न कह, और न उन्हें झिड़क, और उनसे नरम ढंग से बात कर, और उन दोनों के लिए इंकिसारी का बाजू मेहरबानी से झुकाये रख, और कह कि ऐ रब दया कर उन दोनों पर जिस तरह उन दोनों ने मेरे बचपन में मुझे पाला है''। (सूरतुल इस्रा-२३-२४)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''तो उनके रब ने उनकी दुआ क़बूल कर ली। (और कहा) मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को चाहे पुरूष हो या महिला, बर्बाद नहीं करूंगा।'' (सूरे आले इमरान-११४)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''जो कोई भी अच्छा काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वह मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी प्रदान करेंगे। और हम उनको बेहतरीन बदला देंगे उनके उन अच्छे कर्मों की वजह से जो वे किया करते थे। '' (सूरतुन नहल-१७)

और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

''और जो भी नेक काम करे, पुरूष हो या महिला, जबकि वह मोमिन हो, तो ऐसे लोग स्वर्ग में दाखिल होंगे। और उन पर रत्ती भर जुल्म न किया जाएगा।'' (सूरतुन निसा-१२४)

यह सम्मान जो महिला को इस्लाम में प्राप्त है, उसका किसी भी धर्म, या मिल्लत (सम्प्रदाय) या कानून में उदाहरण नहीं मिलता। चुनांचे रोमानियाई सभ्यता ने यह पारित किया कि महिला पुरूष के अधीन (मातहत) एक दासी है, उसे बिल्कुल कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। रोम में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें औरतों के मामले पर चर्चा किया गिया और यह निर्णय लिया गया कि वह एक बेजान प्राणी है, और इसलिए आखिरत की ज़िदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, और यह कि वह नापाक है।

एथेंस में महिला एक गिरी-पड़ी चीज़ समझी जाती थी, उसे खरीदा और बेचा जाता था और वह नापाक शैतानी अमल समझी जाती थी।

जहां तक यहूदी धर्म में औरत का मामला है तो ''पुराना नियम'' (ओल्ड टेस्टामेंट) में उसके बारे में यह कथित हुआ हैः

मैंने अध्ययन किया और सच्ची बुद्धि को पाने के लिए बहुत कठिन प्रयत्न किया। मैंने हर वस्तु का कोई हेतु ढूंढने का प्रयास किया किन्तु मैंने जाना क्या? मैंने जाना कि बुरा होना बेवकूफी है और मूर्ख व्यक्ति का सा आचरण करना पागलपन है। मैंने यह भी पाया कि कुछ स्त्रियां एक फन्दे के समान खतरनाक होती हैं। उनके दिल जाल के जैसे होते हैं और उनकी बाहें ज़ंजीरों की तरह होती हैं। इन स्त्रियों की पकड़ में आना मौत की पकड़ में आने से भी बुरा है।

यह थी प्राचीनकाल में महिला की स्थिति, रही बात मध्यकालीन और आधुनिक युग में महिला की स्थिति तो इसे निम्नलिखित घटनायें स्पष्ट करती हैंः

डेनमार्क के लेखक वायथ कोस्त ने महिलाओं के प्रति कैथोलिक चर्च के रूझहान की व्याख्या अपने इस कथन के द्वारा की हैः ''मध्यकालीन के दौरान कैथोलिक पंथ के दृष्टिकोण के चलते जो कि महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान समझता था, यूरोपीय महिला की परवाह बहुत कम की जाती थी तथा वर्ष ४८६ शताब्दी में फ्रांस के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिला के विषय पर विचार-विमर्श किया गया कि क्या उसे इन्सान समझा जायेगा या उसकी गिनती इन्सान में नहीं होगी? विचार-विमर्श करने के बाद सम्मेलन के सदस्यों ने यह फैसला किया कि महिला को एक इन्सान समझा जायेगा, लेकिन वह पुरूष की सेवा के लिए पैदा की गयी है। फ्रांसीसी कानून का अनुच्छेद २१७ कहता है किः

शादी-शुदा महिला के लिए चाहे उसका विवाह उसके स्वामित्व और उसके पति के स्वामित्व के बीच अलगाव पर ही आधारित क्यों न हो यह जायज़ नहीं है कि वह (अपनी संपत्ति) किसी को भेंट करे, या उसके स्वामित्व को हस्तानांतरित करे, या उसे गिरवी रखे, और न ही वह किसी मुआवज़े के साथ या बिना मुआवज़ा के अपने पति की भागीदारी

के बिना या उसकी लिखित सहमति के बिना किसी चीज़ का मालिक हो सकती है।

इंग्लैंड में, हेनरी अष्टम ने अंग्रेज़ी महिला पर बाइबिल पढ़ना निषिद्ध ठहरा रखा था। वर्ष १८४० शताब्दी तक महिलाएं नागरिकों में नहीं गिनी जाती थीं, और वर्ष १८८२ शताब्दी तक उन्हें व्यक्तगत अधिकार हासिल न थे। (सिलसि-ल-तो मुका-र-न तिल अदयान लेखकः अहमद शिबली ३/२१०-२१३)

जहां तक यूरोप, अमेरिका और अन्य औद्योगिक देशों में आधुनिक महिला की हालत का संबंध है, तो वह वाणिज्यिक प्रयोजनों में उपयोग की जाने वाली एक तुच्छ प्राणी है। क्योंकि वह व्यावसायिक विज्ञापन का एक हिस्सा है, बल्कि उसकी स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि उसे वस्त्रहीन कर दिया जाता है ताकि वाणिज्यिक अभियानों के इंटरफेस में उस पर वस्तुओं को विज्ञापित किया जाए तथा पुरूषों द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर उसके शरीर और सतीत्व को जायेज़ ठहरा लिया गया, ताकि वह हर जगह उनके लिए मात्र मनोरंजन और भोग की वस्तु बन जाए।

तथा वह उस समय तक ध्यान का केन्द्र बनी रहती है जब तक वह अपने हाथ, या अपनी विचारधारा या अपने शरीर के द्वारा देने और खर्च करने में सक्षम रहती है और जैसे ही वह बूढ़ी होती है और देने के तत्वों को खो देती है, तो पूरा समाज, उसके व्यक्तियों और उससे संबन्धित संस्थाओं सहित, उससे पीछे हट जाता है, और वह अकेले अपने घर में या फिर मनोरोग अस्पतालों में जीने पर मजबूर होती है।

आप इसकी तुलना हालांकि यहां कोई बराबरी नहीं है कुरआन में वर्णित अल्लाह सर्वशक्तिमान के इस कथन से करेंः

''और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक-दूसरे के दोस्त हैं।'' (सूरतुत्तौबा-७१)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

और उन (महिलाओं) के लिए भी उसी प्रकार (अधिकार) है, जैसे कि उनके ऊपर है, भलाई के साथ। (सुरतुल बकरा-२२८)

और अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम मात्र उसी की इबादत करना, और माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना, अगर तुम्हारे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जायें तो उनसे उफ़ (अरे) तक न कह, और न उन्हें झिड़क, और उनसे नरम ढंग से बात कर, और उन दोनों के लिए इंकिसारी का बाजू मेहरबानी से झुकाये रख, और कह कि ऐ रब दया कर उन दोनों पर जिस तरह उन दोनों ने मेरे बपचन में मुझे पाला है।'' (सूरतुल इस्रा-२३-२४)

उसके पालनहार ने उसे यह सम्मान देते हुए सभी मानव जाति के लिए यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने महिला को एक मां, एक पत्नी, एक बेटा और एक बहन बनने के लिए पैदा किया है। और इन भूमिकाओं के लिए उसने विशेष नियम निर्धारित किए हैं, जो पुरूषों के बजाय केवल औरत के लिए विशिष्ट हैं।

''इस्लाम के सिद्धांत और उसके मूल आधार''

❑❑❑

खाने से संबन्धित महत्वपूर्ण अहकाम

सईदुर्रहमान सनाबिली

अब्दुल्लह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास डकार लिया तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''अपनी डकार को हमसे दूर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग ज़्यादा जी भर खाते हैं वह कयामत के दिन ज़्यादा लंबी भूख वाले होंगे'' (सुनन तिर्मिज़ीः २४७८, इसे शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सहीहुल जामेअ, हदीस न० ४४६१ में हसन क़रार दिया है)

खूब पेट भर खाने और पेट भर जाने के बाद जो हवा मुंह से निकलती है उसे डकार कहते हैं। सबसे पहले हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि पेट भर खाना खानी ही डकार का सबब है। इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए, खासकर मस्जिद और मजलिस में हाजिरी के वक़्त ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि खूब पेट भरकर खाना मेडिकल और शरीअत दोनों एतबार से अच्छा नहीं माना गया है।

अगर हमें डकार आए तो इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए जैसा की हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहाः ''अपनी डकार को हमसे दूर रखो''। इसलिए इसे यथाशक्ति रोका जाए और ना रूके तो इसे हर संभव तरीके से गुप्त रखने की कोशिश की जाए और लोगों के सामने डकार लेने से परहेज़ करना चाहिए। लोगों की सभा और मस्जिद वगैरह में डकार लेना शिष्टाचार के खिलाफ है क्योंकि कभी-कभार डकार के साथ खाने और पीने की चीज़ भी मुंह तक आ जाती है जिससे लोग घिन करते हैं। आमतौर से डकार की वजह से मुंह में दुर्गंध निकलती है इससे सभा के लोगों को तकलीफ होती है, इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहिमाहुल्लाह का कथन है कि अगर किसी को नमाज़ में डकार लेना पड़ जाए तो चाहिए कि अपने मुंह को आसमान की दिशा में ले जाए, दाएं बाएं या सामने करके डकार ना ले ताकि नमाज़ियों को दुख न पहुंचे। (अल इंसाफ, लेखकः मरवावी १/४६१)

ज़्यादा खाना खाने से बचना चाहिए

मिक़्दाम बिन मअदि करिबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम कहते हैंः

''आदमी अपने पेट से बुरा बर्तन नहीं भरता, आदम के बेटे के लिए तो चंद लुक़्मे ही काफी हैं जो उसकी कमर को सीधी रखें, फिर अगर ज़्यादा खाना बिल्कुल आवश्क है तो पेट का एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए, दूसरा तिहाई पानी के लिये और तीसरा तिहाई सांस लेने के लिये (सुनन तिर्मिजी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को सहीह तिर्मिज़ी में सहीह क़रार दिया है)

इस हदीस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने चिकित्सकीय सिद्धांत की तरफ हमारा मार्गदर्शन फरमाया है। इस परहेज़ से इंसान

अपनी सेहत की हिफाज़त कर सकता है और वह कम खाना, बल्कि इंसान को चाहिए कि वह इतना खाए जिससे उसकी सांस बाक़ी रह सके और जो उसे ज़रूरी काम को करने की शक्ति दे। सबसे गंदा बर्तन जिसे भरा गया वह पेट है क्योंकि ज़्यादा खाने से घातक रोग जन्म लेते हैं। इनमें से कुछ तो तुरंत हो जाते हैं और कुछ देर से होते हैं, कुछ नज़र आते हैं और कुछ छुपे होते हैं। फिर अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अगर इंसान को खूब जी भर कर खाना ही हो तो पेट के एक तिहाई भाग को खाने के लिए और एक तिहाई भाग को पीने के लिए खास कर दे और एक तिहाई को सांस लेने के लिए छोड़ दे ताकि कोई तंगी और नुक़सान ना हो और अल्लाह तआला ने उस पर जो धार्मिक और दुनियावी काम फर्ज़ किए हैं उनको अदा करने में कोई सुस्ती ना हो। इसलिए एक मुसलमान हमेशा ज़रूरत पर खाता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है इसके विपरीत काफिर ज़रूरत से ज़्यादा खाता है क्योंकि उसके यहां परलोक की संकल्पना नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि एक काफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के यहां मेहमान बनकर आया आपने उसके लिए बकरी का दूध निकालने का हुक्म दिया फिर दूसरी बकरी का दूध निकालने का हुक्म दिया वह दूध पी गया फिर एक और बकरी का दूध निकाला गया तो इसका भी दूध पी गया। इस तरह एक-एक करके सात बकरियों का दूध पी गया। दूसरे दिन वह इस्लाम ले आया। आपने इसके लिए दूध दूहने का हुक्म दिया उसने एक बकरी का दूध पी लिया फिर आपने दूसरी बकरी का दूध निकालने का हुक्म दिया लेकिन वह पूरा ना पी सका। इस अवसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''मुसलमान एक आंत में पीता है और काफिर सात आंतों में पीता है''। (सहीह मुस्लिमः २०६३)

इन हदीसों से मालूम होता है कि मुसलमान को चाहिए कि वह कम खाने की आदत डालें और ज़्यादा खाने से परहेज़ करें क्योंकि ज़्यादा खाना मुसलमान का तरीक़ा नहीं है। वह दुनिया में खाने के लिए नहीं जीता है बल्कि जीने के लिए खाता है और खाने का मक़सद यही होता है कि उसे इतना ऊर्जा मिल जाए कि वह जीवित रह सके और अल्लाह की इबादत कर सके।

खाने के बाद हाथ धुलना

खाना खाने के बाद हाथ धुलना और चाटना खाने के शिष्टाचार में से है। अबू हुरैरा रजियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''जब तुम में से कोई इस हाल में सोए कि उसके हाथ में हाथ ना धोने की वजह से गोश्त या चिकनाई की खुशबू बाकी हो और उसे कोई दुख पहुंच जाए तो वह स्वयं अपनी ही लांछन करें। (सुनन अबू दाऊद ३८६७, शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सहीह अबू दाऊद में इस हदीस को सहीह क़रार दिया है)

खाने के बाद की दुआओं का एहतेमाम

खाना खाने के बाद निम्नलिखित दुआओं में से किसी एक दुआ का पढ़ना

मुस्तहब हैः ''हर प्रकार की प्रशंसा उस जाति के लिए है जिसने मुझे खिलाया और मेरी ताकत और कुव्वत के बिना अपने करूणा से मुझे यह रोज़ी दी।

मआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने खाना खाया और इसके बाद यह दुआ पढ़ी तो उसके पिछले सभी गुनाह मआफ कर दिए जाएंगे। (सुनन अबू दाऊदः २३४०, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को सहीह अबू दाऊद में सहीह क़रार दिया है)

''सब प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने खिलाया और पिलाया और इसे निकालने के लायक़ बनाया और इसके निकलने का रास्ता बनाया''

अबू ऐयूब अंसारी रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खाते और पीते थे तो यह दुआ पढ़ते थे। (शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा २०६१ में इसे सहीह क़रार दिया है)

''हर प्रकार की अधिक सुगम, असंख्य और असीमित प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है और ऐ हमारे रब! तेरी प्रशंसा के सभी मोहताज हैं''

अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खाना खाकर फारिग़ होते तो यह दुआ पढ़ते थे। (सहीह बुखारीः ५४५६)

''ऐ अल्लाह तूने खिलाया और पिलाया और तूने माल व दौलत वाला बनाया और तूने मार्गदर्शन दिया और जीवन दिया इसलिए इन नेमतों पर हर प्रकार की प्रशंसा तेरे ही लिए है''

अब्दुर्रहमान बिन जुबैर रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि उनसे एक शख्स ने बयान किया जिन्होंने ८ वर्षों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में खाना पेश किया तो बिस्मिल्लाह कहते और खाने से फारिग़ होते तो यह दुआ पढ़ते थे। (मुस्नद अहमदः १८६७०, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को सहीहुल जामे हदीस न० ४७६८ और सहीहा में इसे सहीह ७ क़रार दिया है।

अबू ऐयूब अंसारी रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खाते और पीते थे तो यह दुआ पढ़ते थे। (शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहाः २०६१ में इसे सहीह क़रार दिया है)

''हर प्रकार की अधिक सुगम, असंख्य और असीमित प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है और ऐ हमारे रब! तेरी प्रशंसा के सभी मोहताज हैं''

अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खाना खाकर फारिग़ होते तो यह दुआ पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी ५४५६)

''ऐ अल्लाह तूने खिलाया और पिलाया और तूने माल व दौलत वाला बनाया और तूने मार्गदर्शन किया और जीवन दिया इसलिए इन नेमतों पर हर प्रकार की प्रशंसा तेरे ही लिए है।''

अब्दुर्रहमान बिन जुबैर रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि उनसे एक शख्स ने बयान किया जिन्होंने ८ वर्षों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा की है उसने बयान किया कि जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में खाना पेश किया जाता तो बिस्मिल्लाह कहते और खाने से फारिग़ होते तो यह दुआ पढ़ते थे। (मुस्नद अहमदः १८६७०, शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह

ने इस हदीस को सहीहुल जामे हदीस न० ४७६८ और सहीहा में इसे सहीह ७/ क़रार दिया है।

अगर किसी दूसरे के यहां खाएं तो मेज़बान को यह दुआ दें।

मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहो अन्हो का बयान है कि मैं और मेरे दोनों साथी आए और हमारे दोनों कानों और आंखों की कुव्वत भूख की वजह से जाती रही थी। हम सहाबा किराम के सामने स्वयं को पेश करते लेकिन हमको कोई नहीं करता। आख़िर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हमको अपने घर ले गए, वहां तीन बकरियां थीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः इन बकरियों का दूध दूहो हम सब पियेंगे'' फिर हम इनका दूध दूहा करते थे और हर एक हम में से अपना हिस्सा पी लेता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का हिस्सा रख देते। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रात को आते और ऐसी आवाज़ निकालते जिससे सोने वाला ना जागे और जागने वाला सुन ले। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते और नमाज़ पढ़ते, फिर अपने दूध के पास आते और इसको पीते, एक रात शैतान ने मुझको बहकाया, मैं अपना हिस्सा पी चुका था। शैतान ने यह कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो अंसार के पास जाते हैं वह आपको तोहफे देते हैं और जो आपको ज़रूरत होती है वह मिल जाता है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इस का एक घूंट दूध की क्या ज़रूरत? आखिर मैं आया और दूध पी गया जब दूध पेट में समा गया और मुझे यक़ीन हो गया कि अब वह दूध नहीं मिलेगा। उस वक़्त शैतान ने मुझको पश्चाताप दिया और कहने लगा खराबी हो तेरा तूने क्या काम किया? तूने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का हिस्सा पी लिया। अब वह आएंगे और दूध नहीं पाएंगे फिर तुझ पर अभिशाप देंगे, तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होगी। मैं एक चादर ओढ़े था। जब उसको पांव पर डालता तो सर खुल जाता और जब सर ढांपता तो पांव खुल जाता और मुझको नींद भी नहीं आई। मेरे साथी सो गए। उन्होंने यह काम नहीं किया था जो मैंने किया था। आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आए और रूटिंग के अनुसार सलाम किया फिर मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ी इसके बाद दूध के पास आए, बर्तन खोला तो उसमें कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। मैं समझा कि अब आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बद्दुआ कर रहे हैं और तू तबाह हो जाएगा। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''ऐ अल्लाह! खिला उसको जो मुझको खिलाता है और पिला उसको जो मुझको पिलाता है। ''

यह सुनकर मैंने अपनी चादर को मजबूत बांधा और छुरी ली और बकरियों की तरफ चला कि जो इनमें से मोटी हो उसको रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के लिए जबह करूं। देखा तो उसके थन में दूध भरा हुआ था फिर देखा तो और बकरियों के थनों में दूध भरा हुआ है। मैंने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर वालों का एक बर्तन लिया जिसमें वह दूध न दूहते थे (अर्थात इसमें

दुहने की इच्छा नहीं रखते थे) इसमें मैंने दूध भरा हुआ है। मैंने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर वालों का एक बर्तन लिया जिस में वह दूध न दूहते थे। (अर्थात इसमें दुहने की इच्छा नहीं रखते थे) इसमें मैंने दूध दूहा यहां तक कि ऊपर झाग आ गया (इतना ज़्यादा दूध निकला) और मैं इसको लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम ने अपने हिस्से का दूध रात को पिया या नहीं मैंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल! आप दूध पीजिए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पिया फिर मुझे दिया। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! और पीजिए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने और पिया फिर मुझे दिया। जब उसको मालूम हुआ कि आपका जी भर गया और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की दुआ मैंने ले ली। उस वक़्त मैं हंसा यहां तक की खुशी के मारे जमीन पर लोट गया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ मिक़्दाद! तूने कोई बुरी बात की वह क्या है? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा हाल ऐसा हुआ मैंने ऐसा कसूर किया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उस वक़्त का दूध जो अप्रत्याशित रूप से निकला वह अल्लाह की रहमत थी तूने मुझसे पहले ही क्यों न कहा। हम अपने दोनों साथियों को भी जगा देते, वह भी दूध पीते। मैंने कहाः क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा कलमा देकर भेजा, अब मुझको कोई परवाह नहीं जब मैंने अल्लाह की रहमत हासिल की और आप के साथ हासिल की कि कोई भी इसको हासिल करे। (सहीह मुस्लिमः ५३६२)

अब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ियल्लाहो अन्हो का बयान है कि अल्लाह के रसूल हमारे बाप के पास आए। हमने आपके खाने के लिए कुछ पेश किया तो आपने उसमें से खाया। फिर आपके लिए कुछ खजूरें लाई गईं, आप खजूरें खाने लगे और गुठली अपने दोनों उंगलियों गवाही देने वाली और बीच की उंगली से (दोनों को मिलाकर) फेंकते जाते थे। शोबा रहिमाहुल्लाह कहते हैंः जो मैं कह रहा हूं वह मेरा ख़्याल और अंदाजा है अल्लाह ने चाहा तो सही होगा। आप दोनों उंगलियों के बीच में गुठली एकत्र कर फेंक देते थे। फिर आपके सामने पीने की कोई चीज लाई गई तो आपने पी और अपने बायें जानिब हाथ वाले को थमा दिया (जब आप चलने लगे तो) आपकी सवारी की लगाम थामे-थामे मेरे बाप ने आपसे कहाः आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आपने फरमायाः

''ऐ अल्लाह! इनके रिज़्क में बरकत दे और उन्हें मआफ कर दे और उन पर अपनी रहमत उतार दे। (सहीह मुस्लिमः २०४२)

३. अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम साद बिन उबादा रज़ियल्लाहो अन्हो के पास आए तो वह आपकी सेवा में रोटी और तेल लेकर आए। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इसे खाया फिर आपने यह दुआ पढ़ी।

''तुम्हारे पास रोज़ेदार इफ्तार किया करें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें'' (सुनन अबू दाऊद ३८५४, सुनन इब्ने माजा २४६, शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को सहीह क़रार दिया है)

❑❑❑

इस्लाम में अनाथों के अधिकार

अबू हमदान अशरफ

वह मासूम और नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इन्तेक़ाल हो गया हो उसे यतीम (अनाथ) कहते हैं।

यतीम के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन पर खर्च करने पर जोर के साथ जहां बहुत से अधिकारों को बयान किया गया है वहीं यतीमों के बारे में उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया। पवित्र कुरआन की २३ आयतों में अनाथों के अधिकारों का वर्णन आया है। यहां पर कुछ आयतों का अनुवाद पेश किया जा रहा है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और जब हमने बनी इस्राईल से वादा लिया कि तुम अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की इबादत न करना और मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें काइम करना और ज़कात देते रहा करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया''। (सूरे बक़रा-८३)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''सारी अच्छाई पूर्व व पश्चिम की तरफ मुंह करने में ही नहीं बल्कि हकीकत में अच्छा वह शख्स है जो अल्लाह तआला पर, क़्यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और नबियों (पैग़म्बरों) पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मुहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती दुख दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गारी है'' (सूरे बक़रा-१७७)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें? आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वह मां बाप के लिये है और मुसाफिरों के लिये है और तुम जो कुछ भलाई करो गे अल्लाह तआला को इसका इल्म है'' (सूरे बक़रा-२१५)

सहल बिन सअ़द साइदी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं और यतीम की किफालत (भरण-पोषण) करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आप ने अपनी शहादत (गवाही देने वाली) उंगली और बीच वाली उंगली के बीच कुशादगी की। (बुख़ारी)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिसने

किसी यतीम को अपने खाने और पीने में शामिल कर लिया यहां तक कि वह मुहताज न रहे तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई (मुसनद अबू यअ्ला, तबरानी, मुसनद अहमद, सहीहुत तरग़ीब-२५४३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास अपने दिल के सख्त होने की शिकायत की तो आप ने फरमाया अगर तू अपने दिल को नर्म करना चाहता है तो मिस्कीन (गरीब) को खाना खिला और यतीम के सर पर (प्यार व मुहब्बत) से हाथ फेर (मुसनद अहमद २/२६३, अस्सहीहा-२/५३३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ अल्लाह मैं लोगों को दो कमजोरों के हक़ में बहुत डराता हूं (उनके हक में कोताही न करना) एक यतीम और दूसरी औरत (सुनन इब्ने माजा-अस्सहीहा १०१५)

कुरआन में फरमायाः

''और यतीमों को उनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज़ न लो और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर न खाओ बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है'' (सूरे निसा-२)

फरमायाः ''जो लोग नाहक़ जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वह दोज़ख़ में जाएंगे''। (सूरे निसा-१)

यतीमों के साथ पैगम्बर मुहम्मद और उनके साथियों का जो व्यवहार था इसको अल्लामा अलताफ हुसैन हाली ने अपनी कविता में इन शब्दों में उल्लेख किया है।

वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला
मुरादें गरीबों का बर लाने वाला
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला
वह अपने पराये का गम खाने वाला
फकीरों का मलजा गरीबों का मावा
यतीमों का वाली गुलामों का मौला
खताकार से दरगुज़र करने वाला
बद अन्देश के दिल में घर करने वाला
मफासिद का जेरो ज़बर करने वाला
कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला
उतर कर हिरा से सूए क़ौम आया
और इक नुस ख़ए कीमिया साथ लाया

इमरान बिन हुसैइन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हम लोग एक सफर में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम सख्त प्यासे थे, आपने हमें पानी की तलाश में भेजा हम पानी तलाश ही कर रहे थे कि हमें एक औरत नज़र आई जो दो मश्कों को लटकाए सवारी से जा रही थी, हमने उससे पानी के बारे में पूछा उसने कहा कि पानी यहां नहीं है, हमारे घर से एक दिन रात की दूरी पर है, हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे पैगम्बर के पास चलो उसने कहा अल्लाह के पैगम्बर कौन हैं। हम लोग उस औरत को पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लाए। औरत ने उपर्युक्त बातों के बाद कहा कि वह यतीम बच्चों की मां है। पानी के मश्कीज़े में पैगम्बर मुहम्मद ने बरकत की दुआ की हम चालीस लोगों ने जी भर कर पानी पिया और अपने तमाम मश्कीज़े को भर लिया लेकिन

इसके बावजूद उस औरत के पानी में कोई कमी नहीं हुई। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एलान किया कि जिन जिन लोगों के पास खाने पीने के सामान हैं सब इस औरत को दे दें। जब यह औरत अपने घर पहुंची तो उसने अपनी क़ौम से कहा कि आज मैं सबसे बड़े जादूगर से मिल कर आई हूं वह तो वास्तव में पैग़म्बर हैं जैसा कि उसकी कौम का ख्याल है फिर वह औरत इस्लाम ले आई और इसके ज़रिया इस औरत की कौम भी इस्लाम ले आई। (बुख़ारी)

इस वाक़ए में ग़ौर करने की बात यह है कि जब पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यह औरत यतीम बच्चों की मां है तो आप ने इन बच्चों पर दया खाते हुए अपने सहाबा (साथियों) को इस औरत की मदद करने का हुक्म दिया जबकि आप और आपके प्यारे सहाबा सफर में थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पास एक औरत ने आकर कहा कि ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति का देहान्त हो गया है और हमारे पास छोटी छोटी बच्चियां हैं इन बच्चों को खिलाने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खिफाफ बिन ईमा गिफारी की बेटी हूं, मेरे पिता हुदैबिया में शामिल थे। उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने यह सुनने के बाद इस औरत को एक तन्दुरूस्त ऊंट पर गल्ले के दो थैले और दूसरी चीज़ें देकर रवाना किया और कहा कि इसके खतम होने से पहले अल्लाह इससे बेहतर इन्तेजाम (प्रबन्ध) कर देगा। (बुखारी)

७ हिजरी में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उमरा के लिये मक्का गए और जब उमरा से वापस होने लगे तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बेटी ने ऐ चचा ऐ चचा पुकारते हुए पीछे से दौड़ते दौड़ते आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने इस बच्ची को उठा लिया और फातिमा को दे दिया। इस यतीम (अनाथ) बच्ची के बारे में तीनों सहाबी यह कहने लगे कि इस यतीम बच्ची की देख भाल मैं करूंगा और हर एक करीबी रिश्ते का हवाला देने लगे। आखिरकार आपने बच्ची को जाफर बिन अबू तालिब के हवाले कर दिया क्यों कि बच्ची की खाला उनके निकाह में थीं और आप ने फरमाया ख़ाला मां के दर्जे में होती है। (बुख़ारी)

यतीम की देखभाल या भरण पोषण का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अनाथ को अपने परिवार का मिंबर बना लें, अपने बच्चों के साथ इसे भी अपनी औलाद समझ कर इसकी तालीम व तर्बियत पर ध्यान दें, इसकी ज़रूरतों को पूरी करें, इसकी पूरी तरह से देख भाल करें। दूसरा तरीक़ा यह है कि आंशिक मदद करें, अपनी ताकात के अनुसार यतीमों की मदद करें।

अगर रिश्तेदारों में कोई यतीम है तो वह हमारी मदद का ज़्यादा हक़दार है, हम उसकी देख भाल करें इससे डबल पुण्य मिलेगा एक रिश्तेदारी का पुण्य और एक नेकी करने का पुण्य। वह संस्थाए जहां पर अनाथ बच्चे, क्षात्र क्षात्राएं शिक्षाध ीन हैं उनका सहयोग करें उनकी शिक्षा और प्रिशिक्षण में हिस्सा लें।

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
“Registered with the Registrar
of Newspapers for India”

OCTOBER 2024
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

28

Total Pages 28